# ...ालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

...ना–पत्र संख्या :–4 / 2024
...CMS NO:- 2024/137

दायर दिनांक: 09.07.2024
पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

बद्रीलाल आ0 भंवरलाल जाति नाई नि0 कोरमा

प्रार्थी

**बनाम**

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब नैनवॉ जिला बून्दी

अप्रार्थी

**प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 111,128 एल आर एक्ट**

उपस्थितिः–
प्रार्थी की ओर से अभिभाषक श्री रामबाबू शर्मा

निर्णय दिनांक ~~22.04.2025~~ 19.03.2025

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम कोरमा पटवार हल्का कोरमा में खसरा नम्बर 1914 / 1054 रकबा 1.1326 हैक्टयर स्थित है जो राजस्व रिकॉर्ड मे प्रार्थी बद्रीलाल पुत्र भंवरलाल हिस्सा पूर्ण जाति नाई सा0 देह खातेदार दर्ज है।

यह कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मे बोई जाने वाली फसलों की जानवरों से सुरक्षार्थ प्रार्थी तार फैंसींग करवाना चाहता है ताकि भूमि व फसलों की सुरक्षा हो सके इसलिए भूमि की पत्थरगढी करवाये जाने का निवेदन किया। उक्त भूमि के पास ही अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 की भूमि होना बताया जिस पर सीमा को लेकर विवाद एवं जबरन प्रार्थी की भूमि पर कब्जा करने से प्रार्थी उक्त भूमि का सीमाज्ञान कर पत्थरगढी करवाने का निवेदन किया। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी, नकल नक्शा ट्रेस तथा पटवारी हल्का कोरमा की दिनांक 22.6.2024 की मौका पर्चा प्रति आदि पेश किये है।

हमनें प्रार्थना पत्र, शपथ–पत्र, प्रस्तुत रिकार्ड दस्तावेज का अवलोकन किया तथा पाया कि पत्रावली मे निहित खसरा नम्बर 1914 / 1054 का तहसीलदार नैनवॉ के पत्रांक / 28 / भु0अ0 / 2024 दिनांक 13.06.2024 की पालना मे पटवारी हल्का कोरमा द्वारा दिनांक 22.06.2024 को सीमाज्ञान बाबत् मौके पर जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की जिसमे पटवारी हल्का कोरमा द्वारा उक्त खसरा नम्बर 1914 / 1054 का सीमाज्ञान राजस्व टीम व पुलिस प्रशासन की मौजुदगी मे होना बताया।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नैनवॉ को आदेशित किया जाता हैं कि ग्राम कोरमा पटवार हल्का कोरमा में खसरा नम्बर 1914 / 1054 रकबा 1.1326 हैक्टयर भूमि का बाद सीमाज्ञान यदि प्रार्थी का भूमि पर कब्जा पाया जाता है तो नायब तहसीलदार अथवा भू–अभिलेख निरीक्षक स्तर के अधिकारी की टीम गठित कर व आवश्यक हो तो पुलिस इमदाद प्राप्त कर नियमानुसार शुल्क राजकोष में जमा करने पर पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 19.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवॉ